न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

अपील 19/2018

1. सुनील कुमार पुत्र डूगरराम जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम्

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार (राजस्व) भादरा दिनांक 25.01.2017

उपस्थितः– श्री विजयसिंह कड़वासरा, अधिवक्ता अपीलांट

राज पेरोकार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय **दिनांकः– 01.01.2021**

अपीलांट ने तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 25.01.2017 के विरूद्ध अपील पेश कि जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट की तरफ से एक प्रार्थना पत्र स0 36/2016 प्रार्थना पत्र वसीयतनुसार नामान्तरण बाबत इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि नुआ तहसील भादरा की भूमि 918–1/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा भूमि की वसीयत के अनुसार इंतकाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया कि प्रार्थी की माताजी शान्ति पत्नी डुगरराम जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर ने अपनी कृषि भूमि गांव नूवा तहसील भादरा के खाता स0 156/100 की कुल तादादी 137 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी है, जिसे खसरा न0 177–207 व 208 में से 318–1/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 26.06.2007 को हुआ है। उसने अपना 1/2 हिस्सा 459–1/6 हिस्सा की वसीयत अपीलांट प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 13.04.2000 को श्रीमान एस.आर. साहब नोहर के कार्यालय में तहरीर की थी तथा प्रार्थी की माता का स्वर्गवास दिनांक 18.08.2007 को हो गया है तथा भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में मालकाना में है तथा भूमि बाबत कोई विवाद या स्थगन आदेश नही है। प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि वसीयत दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.04.2000 के आधार पर इंतकाल दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी अपीलांट को आपति हेतु सार्वजनिक सूचना राज्य स्तरीय समाचार पत्र साया हेतु करने पर प्रार्थी/अपीलांट ने सार्वजनिक सूचना दिनांक 17.03.2016 की राजस्थान पत्रिका मे साया करवा दी गई तथा पत्रावली रिपोर्ट पटवारी हल्का व गवाह बयान तलब हेतु चल रही थी। दिनांक 13.03.2016 से 29.12.2016 तक पटवारी रिपोर्ट एवं गवाह बयान हेतु चलती रही तथा दिनांक 25.01.2017 को प्रार्थी/अपीलांट बिना किसी सूचना व सुनवाई के इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि पक्षकार व गवाहों को सूचत करन के बावजूद गवाह बयानार्थ हाजिर नही हो रहे गवाही हेतु पक्षकार भी रूची नही ले रहा है। अतः वसीयतानुसार आवेदन खारीज किया जाता है तथा उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र खारीज कर मातहत अदालत ने विधिक विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.01.2017 पारित किया है। जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होती है तथा उसके खातेदारी हकुक का हनन होता है। मातहत अदायत ने रजि. वसीयत दिनांक 13.04.2000 जो अपीलांट की माता द्वारा उप पंजीयन नोहर के यहां तस्दीक शुद्वा है तथा प्रार्थी अपीलांट अपनी माता शान्ति देवी पत्नी डूगरराम जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर के दिनांक 23.06.2017 फौत होने के क्षण पंचायत उसकी जगह उसकी वसीयत के आधार खातेदार काश्तकार हो चुका था। मातहत अदालत ने अपने निर्णय दिनांक 25.01.2017 को पारित करते समय नामान्तरण दर्ज करने के प्रावधान जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रतिपादित है की कोई पालना ना करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र वसीयतनुसार इन्तकाल दर्ज करने बाबत कोई खारीज करने में रूची दिखाई है तथा अपने कर्तव्य की पालना नही की है तथा निर्णय दिनांक 25.01.2017 इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 25.01.2017 बअदालत मातहत अदालत अपास्त फरमाया जावें तथा वसीयत दिनांक 13.04.2000 के आधार प्रार्थी/अपीलांट के नाम इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस व रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस मैरिट पर पत्रावली में निर्णय करने का निवेदन किया।

पत्रावली का एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.01.2017 द्वारा अपीलांट का आवेदन बिना गुणावगुण निर्धारित किये खारिज कर दिया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्ध होने से विधिसम्मत नहीं है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कि जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2017 अपास्त किया जाता है और प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पुनः अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलाशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

04/01/2021

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official